न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/239

रामसागर पुत्र मूलचंद जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. कजोड़ पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. रामप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. रंगलाल पुत्र मूलचंद जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. घासी पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. रामफुल पुत्र नाथ्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. सीताराम पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
7. प्रेम बेवा रामकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम बीजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
8. भूस्वामी जरिये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
9. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस– (1). फिरोज आब्दी– अधिवक्ता अपीलांट

(2). महेश योगी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). जाकिर मोहम्मद– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7

निर्णय **दिनांक 26.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 13/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि यह कि वादी के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 697 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा ग्राम बीजलबा पटवार मण्डल सुवानियां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) मे स्थित है। वादी खातेदार कृषक के रूप में काबिज काश्त है। वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 697 के उत्तरी ओर स्थित भूमि खसरा संख्या 894 की मेर पर होकर गावं बिजलबा से नैनवां जाने वाली सड़क से घूमकर खसरा संख्या 694 की मेर से 12 फीट चौडा अनुमान 200 फीट लम्बाई रास्ते से वादी की भूमि के उत्तरी ओर रास्ते से भूमि के जाने का रास्ता निकला हुआ है, जो नैनवाँ से बिजलबा सड़क तक निकला हुआ है।इस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से बता रखा है। भूमि खसरा संख्या 694 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पारिवारिक बंटवारे मे आई है, शेष प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये है, उनके विरूद्ध कोई याचना नही चाही गई है। प्रतिवादीगण के मन मे बदनियति आई है इस कारण प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा संख्या 894 पर वादी के आने जाने वाले रास्ते पर तारबंदी कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जबकि वादी इसी रास्ते मे होकर कहीं वर्षों से पीढीयों से आवागमन कर रहा है, जिसका वादी को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। वादी की भूमि खसरा संख्या 697 मे पहुंचने का इस रास्ते खसरा संख्या 694 के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से बताये गये रास्ते को अपने खेत पर पहुंचने का रास्ता घोषित करवायें, नक्शा ट्रेस मे दर्ज कराये, प्रतिवादीगण द्वारा कारित की गई बाधा परिशिष्ट–अ मे नीली स्याही से कारित की गई बाधा को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा हटाये एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाये कि प्रतिवादीगण वादी के रास्ते के उपयोग उपभोग आवागमन अधिकारो व सुखाधिकारो मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य से करवाये । यदि ऐसा नही किया गया तो वादी को महान व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका नकद के रूप मे मूल्यांकन नही हो सकेगा। यह कि वादी भ्की भूमि का रास्ता प्रतिवादीगण की भूमि मे आता है उसका युक्ति–युक्त प्रतिकर वादी अदा करने को तैयार है। अन्त मे परिशिष्ट–अ

मे लाल स्याही से वर्णित वादी के रास्ते मे पहुंचने के रास्ते को रास्ता घोषित किये जाने तथा परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से वर्णित तारबन्दी को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने एवं रास्ते को नक्शा ट्रेस व अन्य राजस्व अभिलेखों मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण संख्या 5 व 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4, 6 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार नैनवां से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 14.07.2021 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी मे पहुंचने हेतु रास्ता अप्रार्थी अपीलांट की आराजी मे से कायम किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अप्रार्थी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील सब्जेक्ट टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय मे उसको नोटिस तामील नहीं हुए इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवम् कानून के सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वदा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि योग्य

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाने पूर्ण तरीके से व जल्दबाजी में किया गया निर्णय है जो निरस्तनीय है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में उक्त तथ्य वर्णित है, कि प्रार्थी यानी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वेकल्पिक रास्ता मौजूद नही है, जो कतई गलत है क्योकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास रास्ता मौजूद है जहा से वो उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अपने खेत खसरा नम्बर 697 पर स्वयं अपने कृषि संयत्रों को लाता ले जाता रहता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को सुनवाई एवम् जवाबदेही का युक्तियुक्त अवसर नही मिला जो नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है। जिस खसरा नम्बर–894 से रास्ता दिया जा रहा है वह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के खाते है तथा पारिवारिक बटवारे के तहत उक्त खसरा नम्बर के उक्त हिस्से पर अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की तामील प्रोपर व विधिवम्मत् रूप से नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तामील के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ गया था कि जहा से वैकल्पिक रास्ता दिया जा रहा है वह अपीलान्ट का खेत खसरा नम्बर – 694 है, तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को सुनवाई एवम् जवाबदेही का अवसर दिया जाना चाहिये था। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना की है, इसलिये योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा खसरा नम्बर–694 के पश्चिम मेड से रास्ता खसरा नम्बर–697 के लिये मांग की गयी थी। तहसीलदार नैनवों के जवाब से यह तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की मांग गलत है तथा खसरा नम्बर–694 की पश्चिमी मेड़ से रास्ता नही दिया जा सकता है क्योंकि वहा पर मंदिर है। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बखूबी साबित हो गया था कि प्रार्थी द्वारा जहा से यानि खसरा नम्बर – 694 के पश्चिमी मेड़ से रास्ते की मांग की गयी है, वहाँ से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व से आता जाता नहीं है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग नही कर रहा है। क्योकि यदि उक्त रास्ते का उपयोग कर रहा होता तो उसे मंदिर के होने व वहा से रास्ते की जानकारी होती तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में खसरा नम्बर – 694 के पूर्व में रास्ता दिये जाने को कहा गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित करने की भारी कानूनी त्रुटि की है इसलिये योगय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 694 की पूर्वी मेड़ की तरफ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के मकानात बने हुये है व अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है व पश्चिमी मेड़ पर मंदिर है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर ना तो अपीलान्ट के और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के हस्ताक्षर है । उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की गैर मौजूदगी में बिना उन्हें सूचना दिये बनाई गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नही बनायी गयी है, इसलिये योग्य अधीनस्थ

न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि हमने भूमि अपीलांट रामसागर को संभला रखी है। साथ ही यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी मे आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता अपीलांट की आराजी मे विद्यमान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट का अपील मेमो व बहस मे यह कथन रहा है कि उन्हें प्रोपर तामील नहीं हुई तथा जिस भाई को तामील करवाई गई वह स्वयं प्रकरण मे पक्षकार है तथा उससे हमारे सम्बंध अच्छे नहीं है। जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन था कि भाई को प्रोपर तामील मानी जाएगी। हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामसागर को प्रेषित सम्मन नोटिस का अवलोकन किया। सम्मन नोटिस के पीछे रामप्रसाद(भाई) के हस्ताक्षर अंकित है। अतः हमारे मत मे अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 रामसागर पुत्र मूलचंद को प्रकरण मे सम्यक तामील नहीं हुई। दिनांक 03.07.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किया जाना अंकित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2021 पर अपीलांट की उपस्थिति बताई गई है, परन्तु अपीलांट के हस्ताक्षर इस रिपोर्ट पर अंकित नहीं है। दौराने अपील अपीलांट ने एक अन्य मौका पर्चा दिनांक 29.11.2022 प्रस्तुत किया है जिस पर पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर है। इस मौका रिपोर्ट मे अंकित है कि " नैनवां द्वितीय के आराजी खसरा संख्या 1148 एवं राजस्व ग्राम बिजलबा के खसरा संख्या 691 पर आबादी बसी होने के कारण रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।" हमारे मत मे अपीलांट को सम्यक तामील अधीनस्थ न्यायालय मे नहीं हुई। अतः प्राकृतिक न्याय के

सिद्धान्त के अनुसार उन्हें पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही मौका पर्चा दिनांक 29.11.2021 से भी रास्ते की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। यह रिपोर्ट भी राजस्व कार्मिकों ने तैयार की है, जो पूर्व मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2021 से मेल नहीं खाती है। अतः प्रकरण मे मौके की स्थिति भी सही रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 को निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 13/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण मे अपीलांट की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार कर, अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 68 से 70 की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 07.08.2023 को उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा